इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012—ज्येष्ठ 18, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2012

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 28 मई से 5 जून 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2012

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24 मई से 2 जून 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2012

क्र. ई-5-290-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 22 से 26 मई 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-498-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 18 से 26 मई 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-724-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री सुखबीर सिंह, आईएएस., तत्का. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 25 फरवरी 2012 से 3 मार्च 2012 तक, आठ दिन.

2. दिनांक 18 अप्रैल 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक, तीन दिन.

(2) अवकाश काल में श्री सुखबीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखबीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 21 से 30 जून 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-842-आयएएस-लीव-एक -5.—(1) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चम्बल संभाग को दिनांक 29 मई से 13 जून 2012 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चम्बल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-577-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री अशोक कुमार शाह, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 4 से 21 जून 2012 तक, अठारह दिन के, अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अशोक कुमार शाह की अवकाश की अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री सुदेश कुमार, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम, आयुष विभाग को तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस आयुक्त बजट तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार शाह द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा संचालक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा श्री मनीष रस्तोगी, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-772-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 1 से 8 जून 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री आर. के. मिश्रा, अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. मिश्रा, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-448-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती सुरंजना रे, भाप्रसे (1982) को दिनांक 28 फरवरी से 13 मार्च 2012 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2012

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2012 एवं 9, 10 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाशों को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 28 मई से 2 जून 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में श्री रविन्द्र पस्तोर, आयएएस मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रविन्द्र पस्तोर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 25 मई से 15 जून 2012 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश की अवधि में श्री बसंत कुर्रे, अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बसंत कुर्रे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 12 से 23 जून 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जून 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्रीमती भावना वालिम्बे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भावना वालिम्बे कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयएएस, कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 21 से 30 जून 2012 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 जुलाई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बालाघाट का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर, जिला बालाघाट के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-854-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 4 से 15 जून 2012 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जून 2012 एवं 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री शिवपाल सिंह, अपर कलेक्टर भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवपाल सिंह, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2012 द्वारा दिनांक 28 मई से 8 जून 2012 तक, बारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 जून 2012 एवं 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार इकबाल सिंह बैस, आयएएस., पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन, संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त, पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन, संस्कृति, संसदीय विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन एवं आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैस उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-802-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 11 से 15 जून 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 जून 2012 एवं 16, 17 जून 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2012

क्र. ई-5-822-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस., आयुक्त, निगर निगम, इंदौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मई 2012 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 11 मई 2012 तक, चौबीस दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 23 अप्रैल से 11 मई 2012 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 1 मई 2012 की शेष कंडिकायें यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव ''कार्मिक''

भोपाल, दिनांक 25 मई 2012

क्र. एफ. ए. 5-05-2012-एक (1) संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2012 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरूण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को 19 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय के उक्त स्वीकृत अवकाश को निरस्त कर उसके स्थान पर 22 दिन का निम्नांकित विवरण अनुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभिुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	13-4-2012 से 4-5-2012 तक.	22 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

एफ क्र. 15-2-2012-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गांवों की चकबंदी भूमि के लिए उसके कॉलम (4) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए.

अनुसूची

तहसील—इटारसी, जिला—होशंगाबाद

क्र.	गांव / गांवों का नाम	प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ढाबाखुर्द	1	भू-अभिलेख अधीक्षक, (भू-प्रबंधन)
2	गुर्रा	14	
3	बिच्छुआ	16	
4	चांदौन	19	
5	मेहरागांव	9	
6	तारारोड़ा	13	
7	लुहारियाकला	13	
8	भीलाखेड़ी	7	
9	सनखेड़ा	12	
10	नयाखेड़ा	5	
11	धौखेड़ा	10	
12	गजपुर	17	
13	सेमरीखुर्द	4	
14	कुकड़ी	1	
15	सोनतलाई	17	
16	ढाबाकला	1	
17	इटारसी	9	
18	सोनासांवरी	10	
19	रैसलपुर	11	
20	मेहराघाट	3	
21	कान्ट्राखेड़ा	5	
22	अंधियारी	9	
23	मुंगवारी	5	
24	मोफाड़ा	2	
25	सांवलखेड़ा	11	
26	जासलपुर	19	
27	साकेत	13	
28	मुहारी	5	
29	मिसरोद	2	

(1)	(2)	(3)	(4)
30	बम्हनगांव खुर्द	13	भू-अभिलेख अधीक्षक, (भू-प्रबंधन)
31	रढाल	8	
32	रसूलिया	17	
33	सेल	3	
34	नोहर	10	
35	डोलरिया	4	
36	पालनपुर	10	
37	पंवारखेड़ाबस्ती	20	
38	रायपुर	18	
39	मालाखेड़ी	17	
40	गुनौरा	7	
41	ब्यावरा	20	
42	बम्हनगांवकलां	6	
43	निमसाड़िया	22	
44	पांजराकला	21	
45	सुपरली	12	
46	पर्रादेह	9	
47	जलालाबाद	17	
48	चापड़ा ग्रहण	6	भू-अभिलेख अधीक्षक, (आबादी सर्वे)
49	भिलाड़ियाकला	9	
50	थुआं	15	
51	रेहड़ा	12	
52	झिल्लाय	37	
53	सोमलवाड़ा	43	
54	खेड़ी	43	
55	खरार	28	
56	खुटवासा	44	
57	भमेड़ी	48	
58	विसोनीखुर्द	5	
59	सतवासा	44	
60	भमेड़ी देव	44	
61	जीराबेह	17	
62	कोठरा	18	
63	खारदा	44	
64	रूपादेह	14	
65	चतरखेड़ा	31	
66	निपानिया	31	
67	खपरिया	34	
68	नाहर कोला	47	
69	पिपलियाकलां	27	
70	बिसोनीकला	6	
71	दतवासा	40	
72	भैरोंपुर	16	
73	भरलाय	21	
74	पेटलाखेड़ी	14	
75	गाडरिया	32	
76	बानापुरा	29	
77	हिरनखेड़ा	42	भू-अभिलेख अधीक्षक, (आबादी सर्वे)
78	गाजनपुर	46	
79	शिवपुर	3	
80	बघवाड़ा	36	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2012

क्र. एफ.-क्र. 15-2-2012-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-15-2-2012-सात-6, दिनांक 9 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th May 2012

F. No. 15-2-2012-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the M.P.Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby direct that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (4) there of:—

SCHEDULE

Tahsil—ITARSI, District—HOSHANGABAD

S. No.	Name of villages	P.C.No.	Designation of the Officer authorized to prepare records of rights.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhabhakhurd	1	Superintendent of Land Records, (Land Management)
2	Gurra	14	
3	Bichhua	16	
4	Chandon	19	
5	Mehragoan	9	
6	Tararodha	13	
7	Lohariyakala	13	
8	Bhilakhedi	7	
9	Sankheda	12	
10	Naykheda	5	

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Dhokheda	10	Superintendent of Land Records, (Land Management)
12	Gajpur	17	
13	Semrikhurd	4	
14	Kukdhri	1	
15	Sontalay	17	
16	Dhabakala	1	
17	Itarsi	9	
18	Sonasanvari	10	
19	Raishalpur	11	
20	Mahraghat	3	
21	Kandrakhedi	5	
22	Andiyan	9	
23	Mungwari	5	
24	Maphadha	2	
25	Sawalkheda	11	
26	Jashalpur	19	
27	Sanket	13	
28	Muhari	5	
29	Misrod	2	
30	Bammangaon Khurd	13	
31	Randhal	8	
32	Rasuliya	17	
33	Sail	3	
34	Nohar	10	
35	Dolariya	4	
36	Palnpur	10	
37	Pawankheda Basti	20	
38	Raipur	18	
39	Matakheda	17	
40	Gunora	7	
41	Bouwra	20	
42	Bammangoan Kala	6	
43	Nimsadiya	22	
44	Panjrakala	21	
45	Suparli	12	
46	Parradeh	9	
47	Jalalabad	17	
48	Chapdagrahan	6	
49	Bhiladiyakala	9	
50	Thuaa	15	
51	Rehdha	12	
52	Jillay	37	
53	Somalwada	43	
54	Khedi	43	
55	Kharar	28	
56	Khutwasa	44	
57	Bhamedi	48	
58	Besonikhurd	5	
59	Satwasa	44	
60	Bhamedidev	44	
61	Jirabeh	17	
62	Kothara	18	
63	Kharda	44	
64	Ropadeh	14	
65	Chatarkheda	31	
66	Nipaniya	31	
67	Khapariya	34	
68	Naharkala	47	
69	Pipaliyakala	27	
70	Besonikala	6	
71	Datwasa	40	
72	Bheropur	16	
73	Bharlay	21	
74	Petlakhedi	14	
75	Gadariya	32	
76	Banapura	29	
77	Hirankheda	42	
78	Gajanpur	46	
79	Shivpur	3	
80	Bagwada	36	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2012

क्र. एफ-16-15-2012-सात-2ए.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसरण में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (2) के प्रकरणों में सुनवाई हेतु सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को प्राधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2012

क्र. एफ-7-30-12-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक, कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री ध्रुवप्रताप सिंह, कटनी —अध्यक्ष
2. श्री पिताम्बर टोपनानी, कटनी —उपाध्यक्ष

क्र. एफ-7-32-2012-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक सिंगरौली विकास प्राधिकरण, सिंगरौली में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री गिरीश द्विवेदी, सिंगरौली —अध्यक्ष
2. श्री रामनरेश शाह, एडवोकेट, सिंगरौली —उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2012

क्र. एफ-13-9-2012-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 5 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी./4672 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26 अप्रैल 2012 से 25 अगस्त 2012 तक चार माह के लिये छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2012

क्र. एफ-11-26-2012-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका 14.4 संदर्भ में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-1-2010-बी-ग्यारह, दिनांक 4 जनवरी, 2011 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप भॅवरकुॅआ, इन्दौर, जिला इन्दौर की निम्न तालिका में दिए विवरण की भूमि पर विकसित क्रिस्टल आई टी. पार्क को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :—

तालिका

क्रमांक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	132	0.72
2	133	0.23
3	34	0.46
4	145	1.15
5	146	0.19
6	149	0.55
7	150	1.62
8	154	1.56
9	155 (पी)	1.35
10	375 (पी)	0.16
-	-	7.99

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2012

क्र. एफ-11-26-2012-बी-ग्यारह..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-11-26-2012-बी-ग्यारह. दिनांक 28 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

Bhopal, the 28th May 2012

No. F. 11-26-2012-B-XI.—*Vide* this department's order number F-20-1-2010-B-XI, dated 4th January 2012 issued as per para 14.4 of the "Industrial Promotion Policy 2010 and Action Plan", the State Government notifies the CRYSTAL I. T. PARK developed at Bhanwarkuan, Indore, District Indore, on the land detailed in the table below as "Industrial Area".

TABLE

Serial Number	Survey Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
1	132	0.72
2	133	0.23
3	134	0.46
4	145	1.15
5	146	0.19
6	149	0.55
7	150	1.62
8	154	1.56
9	155 (P)	1.35
10	375 (P)	0.16
-	-	7.99

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MOHD. RAFIQUE KHAN, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

फा. क्र. 1(बी) 02-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नरोत्तम लाल चौरसिया, पुत्र श्री मल्थूराम चौरसिया, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दमोह सत्र खण्ड के दमोह राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, दमोह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री नरोत्तम लाल चौरसिया की जन्म तिथि 1-5-1966 एक मई उन्नीस सौ छियासठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-5-2028 एक मई दो हजार अठ्ठाईस को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1(बी) 13-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कमल किशोर तिवारी पुत्र श्री मनोहरलाल जी तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, शुजालपुर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री कमल किशोर तिवारी की जन्म तिथि 13-5-1967 तेरह मई उन्नीस सौ सढसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 13-5-2029 तेरह मई दो हजार उन्नतीस को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1(बी) 17-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पंचमलाल सोनी पुत्र, स्व. श्री गोविन्दास सोनी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सेवढ़ा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री पंचमलाल सोनी की जन्म तिथि 1-8-1963 एक अगस्त उन्नीस सौ त्रेसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-8-2025 एक अगस्त दो हजार पच्चीस को पूर्ण होगी.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

फा. क्र. 1(ई) 51-2005-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कुमारी शोभा पोरवाल, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 5-17-2009-उन्तीस (2), दिनांक 28 मई 2012 द्वारा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-3—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 31 जुलाई, 2009 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 22 जुलाई, 2009 की निरन्तरता में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक हित में वन और पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी संरक्षा करने की दृष्टि से, नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को छोड़कर, आरक्षित या संरक्षित वनों की सीमाओं के बाहर की ओर 20 किलोमीटर तक की

परिधि के भीतर आने वाले क्षेत्रों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, 08 अगस्त, 2009 से 3 वर्ष की कालावधि के लिये प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है:

परन्तु ग्राम चांदपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल का वह क्षेत्र, जिसके लिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित साधिकार समिति द्वारा फाईल क्रमांक 2-30-सी. ई. सी.-एस. सी-10-भाग-दो, दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा सहमति दी जा चुकी है, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन होने की तारीख से, ऐसे प्रतिषेध से मुक्त रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 30-4-2002-दस-3, दिनांक 29 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 29th May 2012

No. F. 30-4-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kastha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984) and in continuation of this Department's Notification No. F. 30-4-2002-X-3, dated 22nd July 2009 published in "Madhya Pradesh Gazette" on 31st July, 2009, the State Government, hereby, in order to conserve and protect forest and environment in public interest, declare the areas within 20 KM radius outside the boundaries of the reserved or protected forest, except the areas of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayat and Special Area Development Authorities, to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from 8th August, 2009 :

Provided that the area of Village Chandpur, Tehsil Huzur, District Bhopal for which the concurrence has been given by the empowered Committee constituted by Hon'ble. The Supreme court vide file No. 2-30-CEC-SC-10-Pt-II, dated the 10th February, 2012 shall be free from such prohibition from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. K. MISHRA, Secy.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2012

क्र. एफ. 44-03-20-3-2012.—मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, अधिनियम, 1998 (क्रमांक 31 सन् 1998) की धारा 5 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राशिद खान, भोपाल को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश, मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 1st June 2012

NOTICE

F. No. 22-13-04-VIII.—WHEREAS, the Supplementary Reciprocal Transport Agreement For Grant of and/or countersignature of interstate permit for plying of passenger vehicles, was executed between the Government of Madhya Pradesh and the Government of Uttar Pradesh and which has been signed on 2nd day of December 2011;

AND, WHEREAS, the Governments of the aforesaid two States further agree to rescind the said agreement on inter-state routes and for grant of and/or countersignature of inter state permit for plying;

NOW, THEREFORE, the following draft agreement, which the Government of Madhya Pradesh proposes to execute, which the Government of Uttar Pradesh is hereby published as required by sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft agreement will be taken into consideration on the expiry of 30 days form the date of publication of notice in the "Madhya Pradesh Gazette". Any representation which may be received from any person with respect to the said draft of agreement on or before the expiry of the period specified above will be considered by the Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Transport Department in Room No. 226, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

Representation, if any, should be addressed in duplicate to the Secretary to the Government of Madhya Pradesh Transport Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal-462004

It is published in continuation of Notification No. F.22-13-4-VIII, Bhopal, dated 8-2-2012.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RENU TIWARI, Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 25-17-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में उस संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के अपने स्टाक की घोषणा प्ररूप ''घ'' में करेगा और, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा:—

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए वार्षिक शुल्क :—

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क	
व्यापारी	उपभोक्ता	विनिर्माता तथा उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए 1 घन मीटर.	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घन मीटर.	रुपये 1000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए रुपये 1000/-	वास्तविक उपभोक्ता रुपये 200/-
(ख) बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिए 1 घन मीटर.			(ख) बढ़ई की दुकान, फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, के लिये रुपये 200/-	
(ग) विनिर्माता/व्यापारी के लिए, 1 घन मीटर.			(ग) केवल व्यापारी के लिये रुपये 1000/-	

टिप्पणी :—(1) आवेदन के साथ उपरोक्त दर पर वार्षिक रजिस्ट्रीकरण शुल्क का संदाय करने के पश्चात्, किसी व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता को उसके द्वारा ऐसी कालावधि के लिये शुल्क संदत्त किए जाने पर एक या दो या तीन वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(2) रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के दौरान, यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता के विरुद्ध कोई अनियमितता अथवा वन अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तो पूर्वोक्त कालावधि के लिये उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा समुचित आदेश जारी कर, राजसात कर लिया जाएगा.

(3) यदि व्यापारी/विनिर्माता/उपभोक्ता, वनमण्डल के भारसाधक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो, वह वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी को एक माह की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा. वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चिय अंतिम होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 25-17-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-17-2009-दस-3, दिनांक 12 अप्रैल 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2012

No. F-25-17-2009-X-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kashta Niyam, 1973, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 21 of the said Act, for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every manufacturer who uses any specified timber as a raw material and every trader and consumer whose annual use, requirement or consumption, as the case may be, exceeds the quantity given in the Schedule below, shall declare his stock of specified timber in Form D and get himself registered in the manner hereinafter provided after payment of an annual registration fee specified in the Schedule below:—

SCHEDULE

Minimum quantity for which registration is necessary for Manufacturers, traders and consumers and the annual registration fee for manufacturers, traders and consumers :—

	Minimum quantity for which registration is necessary			Annual registration fee	
	Trader	Consumer	Manufacturer and Consumer	Traders	Consumer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	House building contractors 1cu.m.	Bonafide purposes 10 cu.m.	Rs. 1000/-	(a) House building Contractors Rs. 1000/-.	Bonafide consumer Rs. 200/-.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(b)	Carpentry shops furniture makers including turnery artisans 1 cu.m.		(b) Carpentry shops furniture makers including turnery artisans Rs. 200/-	
(c)	Manufacturer/ Trader 1 cu.m.		(c) Only traders Rs. 1000/-	

Note :—(1) After paying the annual registration fees at the above rates along with the application, a Trader/ Manufacturer/Consumer shall be registered for one or two or three years, as per the fees paid by him for such a period.

(2) During the registration period if any irregularity or forest offence is registered against the Trader/Manufacturer/ Consumer, his registration shall be cancelled for the aforesaid period and registration fee shall be forfeited by the In-charge Officer of the Forest Division after issuing appropriate orders.

(3) If the Trader/Manufacturer/Consumer is not satisfied with the order issued by the In-charge Officer of the Forest Division, then he may prefer an appeal to the In-charge Officer of the Forest Circle within a period of one month. The decision taken by the In-charge Officer of the Forest Circle shall be final."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2012

क्र. डी-15-30-2012-चौदह-3.—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से, "ग्रेन बैंक योजना" के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को वितरण हेतु म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2008 से वर्ष 2007-08 में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से आवंटित 1852 मैं. टन निःशुल्क खाद्यान्न "गेंहू" को उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट दी गई थी, इसके अतिरिक्त उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 2007-08 में 14360 क्विंटल, 2008-09 में 59960 क्विंटल एवं वर्ष 2010-11 में 58240 क्विंटल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न "गेहूं" को निम्नानुसार मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है :—

क्रमांक	जिला	वर्षवार खाद्यान्न (गेहूं) की मात्रा (क्विंटल में)		
		2007-08	2008-09	2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सागर	-	1680	-
2	पन्ना	-	1160	-
3	सीहोर	-	800	-
4	देवास	-	1080	-
5	बुरहानपुर	-	1280	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	झाबुआ	2800	10200	5040
7	खण्डवा	–	2240	–
8	मंडला	4000	11160	44760
9	डिण्डौरी	2800	6880	–
10	बालाघाट	–	2200	–
11	सिवनी	2000	3200	–
12	जबलपुर	–	1400	–
13	श्योपुर	–	2560	–
14	होशंगाबाद	–	3760	–
15	सतना	–	2200	–
16	दमोह	400	3080	–
17	बड़वानी	2360	5080	–
18	सीधी	–	–	2880
19	अशोकनगर	–	–	1280
20	अनूपपुर	–	–	3200
21	रीवा	–	–	1080
	योग:—	14360	59960	58240

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मई 2012

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-3602-3603-011-1613-12.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"25.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	कटनी.".

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-3603-011-1613-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B (one), dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 6th November, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local Area
(1)	(2)	(3)
"25.	Ist Additional Sessions Judge, Katni	Katni.".

भोपाल, दिनांक 31 मई 2012

फा. क्र. 17(ई)-43-2009-3835-इक्कीस-ब(एक)-10-1598-1664-12.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई) 43-3835-इक्कीस-ब(1), दिनांक 30 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 एवं 29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9.	श्री संजय राज ठाकुर	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल
29.	श्री गंगाचरण दुबे	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा.".

टिप्पणी:—जहां किसी सिविल जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं, वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E)43-2009-3835-XXI-B(One)-10,1598-1664-.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of

Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-3835-XXI-B(One), dated 30th March, 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 9 and 29 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9.	Shri Sanjay Raj Thakur	Betul	Betul	Betul	Betul
29.	Shri Ganga Charan Dubey	Khandwa	Khandwa	Khandwa	Khandwa.".

Note :—Where there is a common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of Civil District in that case such common Nyayadhikari shall preside over each Gram Nyayalaya for 15th days respectively every month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2012

क्र. एफ 44-4-बीस-3-2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, अधिनियम, 1998 की कंडिका (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :—

क्र.	पद	नामांकन की श्रेणी	नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सदस्य	उर्दू भाषा के विद्वान	श्री मुख्तार अहमद, टीकमगढ़
2	सदस्य	अरबी भाषा के विद्वान	श्री मुफ्ती रहीम साहब, भोपाल
3	सदस्य	सुप्रबंधित मदरसों के संचालक	1. श्री मजहर आलम, एडव्होकेट, गुना 2. श्री अशरफ कुरैशी, राजगढ़.
4	सदस्य	मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति	1. श्री नियाज मोहम्मद, ग्वालियर 2. डॉ. सलीम कुरैशी, दतिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्र. 323-एस.सी.-2-2012.—छतरपुर जिले में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावें.

अस्तु: मैं राहुल जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर (म. प्र.) आपत्तिजनक हैजा/ज्वर/आंत्रशोध विनिमय, 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला छतरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि:—

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपाहारगृहों, भोजनालयों, होटलों जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :—

1. बासी मिठाइयों व नमकीन बस्तुओं व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.

2. बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल-सब्जियों, ऊबली हुई चाय, शर्वत मॉस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सके.

(ख) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके, स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं, और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त है तो उन अस्वस्थ्य कारण दूषित अनुपर्युक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं. जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे :—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.

3. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत . . . . . .(सर्व).

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत . . . . . .(सर्व) जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

राहुल जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मई 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-180-10-तीन-781—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत बारीगढ़ जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री सरोज अहिरवार अध्यक्ष** पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत बारीगढ़ जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के पत्र क्र. 370-स्था.निर्वा.-10, दिनांक 1 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सरोज अहिरवार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सरोज अहिरवार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर के माध्यम से दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सरोज अहिरवार को नोटिस दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जनवरी, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री सरोज अहिरवार** का नोटिस तामील के पश्चात् कोई अभ्यावेदन/लेखा इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को कराई गई किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सरोज अहिरवार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत बारीगढ़ जिला छतरपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 मई 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1225-12-पत्र क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रीछुल	6.440	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागौद, जिला सतना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 5-5-12-12-पत्र क्र. 1231-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	चौतरहा	23.380	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नागौद, जिला सतना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 17 मई 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1272-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	दतुनहा	3.900	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 11 मई 2012

क्र. 275.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	सेमरिया (अति. रकबा)	4.76	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 277.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	खैरही (अति. रकबा)	3.34	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 279.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	महराजपुर (अति. रकबा)	1.30	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 281.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	रामपुर (अति. रकबा)	1.96	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 283.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	बटौली (अति. रकबा).	1.83	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 285.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पडखुरी (अति. रकबा).	24.43	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 287.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	तेदुआ (अति. रकबा).	11.82	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 289.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	मौहरिया कला (अति. रकबा).	3.23	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 292.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कथरिहा (अति. रकबा).	2.15	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 294.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	सीधीखुर्द (अति. रकबा).	4.28	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 296.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पडैनिया पवाई (अति. रकबा).	0.41	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 298.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पडरा (अति. रकबा).	10.12	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 300.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पनवार बघेलान (अति. रकबा).	3.69	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 302.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	विजयपुर (अति. रकबा).	2.25	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 304.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	जोगीपुर (अति. रकबा).	1.78	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 306.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	नौगवांधीर सिंह (अति. रकबा).	8.83	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.).	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 308.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	बंजारी (अति. रकबा)	6.50	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	रामगढ़ प्रथम (अति. रकबा)	0.26	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 312.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गेदुरहा (अति. रकबा)	0.98	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 314.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	रामगढ़ द्वितीय (अति. रकबा)	1.24	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 316.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	बम्हनी (अति. रकबा)	1.36	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 318.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पुरुषोत्तमगढ़ (अति. रकबा)	1.92	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 320.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	नौगवांदर्शन सिंह (अति. रकबा)	7.90	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 322.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	जौरौधा (अति. रकबा)	1.34	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 324.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	बसौडहा (अति. रकबा)	1.733	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 326.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	मूडीताल (अति. रकबा)	0.87	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 328.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	जमोडीकला (अति. रकबा)	3.35	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 330.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	सोनाखांड (अति. रकबा)	1.247	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 332.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	पनवार चौहानन टोला (अति. रकबा)	25.77	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 334.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	मुठिगवांकला (अति. रकबा)	2.17	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 336.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	रोझौहा (अति. रकबा)	1.52	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 338.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	अमरवाह (अति. रकबा)	2.16	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 340.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	जमोडीखुर्द (अति. रकबा)	3.01	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 342.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	गाडा लोलर सिंह (अति. रकबा)	2.60	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 344.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	करगिल (अति. रकबा)	0.25	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 346.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	धनखोरी (अति. रकबा)	1.65	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 348.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपदबनास	गाडा बबन सिंह (अति. रकबा)	4.93	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 मई 2012

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2011-12-348-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उप1धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खजरवारा	निजी भूमि		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कोयलीधासी जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 92	593	2.400		
		रा.नि.मं.	575	0.600		
		मेहदवानी	574/1	0.200		
			574/2	0.200		
			572	0.230		
			600	0.200		
			570/2	0.100		
			योग निजी भूमि . .	3.930		
			शासकीय भूमि . . 592.00	1.350		
			कुल योग . .	5.280		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 21 मई 2012

प्र. क्र. 2-अ-82-11-12-57-भू.-अर्जन-जबलपुर-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्षन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	माढ़ोताल प.ह.नं. 1 न.बं. 660	1.062	आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर	कृषि उपज मण्डी के सामने से कठौंदा सीवर प्लांट की ओर जाने वाली सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 मई 2012

क्र. 1304-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	डढ़िया	0.816	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1306-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटा कोठार	9.216	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1308-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बड़ागांव	3.888	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1310-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	हरदुआ	1.92	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1312-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	नांदाझार	5.856	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1314-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरिया जागीर	6.34	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1316-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	शहतरा	4.95	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1318-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटरा कोठार	2.46	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1366-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	डिहुली	0.93	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिहावल नहर की धुम्मा माइनर की कुस्परी सब माइनर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1388-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	बम्हौरी	8.673	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1402-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	लौआ	खसरा नं. 1683/2	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	क्योटी मुख्य नहर के सीमा पर स्थित भवन सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी मुख्य नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1404-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	भस्मा 413	0.356	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की ग्राम भस्मा की 0.356 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1406-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	चकमुरार	निजी भूमि 1.296	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत सकरिया माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1408-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सकरिया	निजी भूमि 2.947	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत सकरिया एवं मटेहना माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1410-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मटेहना	निजी भूमि 2.880	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मटेहना क्र. 1 एवं 2 माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1412-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बिरहुली	निजी भूमि 0.806	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत सकरिया एवं मटेहना माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1414-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पड़री पबाई	0.436	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की ग्राम पड़री पबाई की 0.436 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1416-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	भड़ेरहा 423	0.032	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की ग्राम भड़ेरहा 423 की 0.032 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 मई 2012

क्र. 1423-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बधरा	1.728	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बधरी व बधरा की सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1425-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पटेहरा	7.440	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बहेरिया व बधरी की सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1427-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बेला पवाई	2.640	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बधरा सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1429-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	डढिया	2.016	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बहेरिया सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1431-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	लेन बधरी	1.248	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बधरी सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1433-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटा कोठार	3.552	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला व बहेरिया की सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1435-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बड़ागांव	1.920	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बधरा सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1437-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	झलवार	1.728	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1439-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	तिघरा	2.592	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बघरी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1441-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खारा	0.504	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1443-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	हरदुआ	3.672	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1445-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	नांदाझार	0.768	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बघरी सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1447-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध

उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सेमरिया	ब्हेरिया	0.144	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुर्वा मुख्य नहर के टेल माइनर की बहेरिया सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 25 मई 2012

क्र. 2062-भू.अ.अ.-2012-13-प्र. क्र. अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	केरबना	0.319	कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग दमोह.	पंचमनगर मध्यम परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		गूगराकलॉ	1.683		
		कैथोरा	3.815		
		पथरिया	3.352		
		तिंदुआ	0.776		
		सैड़ारा	2.552		
		कुम्हरवारा	1.275		
		शखपुरा	0.863		
		बटियागढ़ खास	9.765		
		बसिया	2.541		
		सरिया	1.187		
		योग :	28.128		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 25 मई 2012

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	इटारिया	48.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	इटारिया तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 26 मई 2012

प्र. क्र. 17 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-4342.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सेन्द्रया	0.680	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	सेन्द्रया लघु जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 28 मई 2012

प्र.क्र. 01-अ-82-2011-12-क्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	मल्हारगढ़	रणायरा	1.289	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	रणायरा-गर्रावद तालाब एवं नहर निर्माण.
		गर्रावद	45.978		
		योग . .	47.267		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ के कार्यालय एवं कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 मई 2012

क्र. 8792-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	पिपलीमाल	1.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, धार.	कोठड़ा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
		योग . .	1.050		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8797-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	कोठड़ा	2.954	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, धार.	कोठड़ा तालाब योजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
			योग . . 2.954		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 मई 2012

प्र. क्र. 7-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	डहर्रा	1.085	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व राजनगर.	कुटनी पोषक जलाशय के भराव क्षेत्र के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 217.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—उमरिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.90.

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)
110	0.005
99	0.016
111	0.010
112/1, 112/2, 112/3	0.010
97	0.06
32/1, 32/2	0.180
73	0.04
72	0.148
71	0.010
35	0.14
34	0.021
36	0.080
21	0.10
	योग : 0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 219.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—रकेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.428.

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)
2	0.096
23	0.012
26	0.043
22	0.094
27	0.022
28	0.016
31	0.120
32	0.152
452	0.042
453	0.264
455	0.008
456	0.030
452	0.010
458	0.108
459	0.005
463	0.096
464	0.050
439	0.120
466/1, 466/2	0.030
471	0.040
472	0.108
470	0.040
488	0.244
487	0.002
503	0.010
484	0.060
24	0.052
25	0.048
26	0.006
23	0.006

(1)	(2)
2	0.004
329	0.128
330	0.004
333	0.024
328	0.060
327	0.028
320	0.042
325	0.006
324	0.054
321	0.304
322	0.021
319	0.030
510	0.024
651	0.016
650	0.049
653/1, 653/2	0.334
654	0.088
655	0.008
657	0.028
669	0.106
683	0.088
684	0.024
योग :	3.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 221.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—भुइयाडोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.207

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
13	0.060
14/1	0.112
15	0.040
16	0.008
10	0.168
7/1	0.100
7/2	0.100
19	0.02
20	0.005
22/1	0.096
21	0.108
37	0.012
23	0.096
35	0.068
25	0.064
28	0.024
29	0.060
87	0.052
86	0.052
88	0.040
89	0.089
90	0.048
98	0.064
100	0.016
101	0.108
102/1	0.128
102/2	0.44
103	0.116
104	0.016
105	0.032
106	0.048
111	0.088
112	0.136
114	0.016
115	0.020
116	0.042
119	0.040
120	0.084
121	0.030
124	0.024
125	0.028
138	0.049

(1)	(2)
139	0.040
140	0.045
126	0.045
131	0.004
130	0.040
137	0.044
142	0.014
141	0.332
91	0.016
90	0.084
98	0.030
97	0.016
94	0.038
92/1	0.024
92/2	0.024
93	0.036
199	0.051
200	0.03
201	0.075
195	0.048
194	0.046
202	0.068
192/1	0.024
192/2	0.020
203	0.052
191	0.020
190	0.024
204	0.011
408	0.072
407	0.030
406	0.02
405	0.03
404	0.005
401	0.019
400	0.016
399	0.012
402	0.090
416/1	0.006
416/2	0.006
403/1	0.018
403/2	0.018
414	0.042
415	0.020
412	0.020
413	0.029
411	0.012
429	0.062
428/1	0.028
428/2	0.028
513	0.024
514	0.038
427/1	0.008
427/2	0.008
528	0.043
527	0.052
526	0.024
525	0.005
524	0.016
523	0.044
522	0.040
योग :	4.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 223.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—रेहुटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.467

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
99	0.016
100	0.016
101	0.04
102	0.015

(1)	(2)
103	0.02
104	0.038
105	0.060
117	0.016
116	0.03
106	0.036
115	0.010
114	0.072
111	0.02
112	0.005
110	0.03
109	0.005
107	0.012
350	0.005
356	0.04
357	0.056
362	0.046
361	0.08
360	0.014
364	0.01
369	0.11
370	0.012
390	0.060
392	0.160
407	0.032
408/1/1	0.10
408/1/2	0.10
408/2	0.10
564	0.03
560	0.02
577	0.25
587	0.02
553	0.24
545	0.005
546	0.03
551	0.08
547	0.01
544	0.012
549	0.10
548	0.01
598/1, 598/2	0.07
618	0.16
636	0.06
635	0.13
617	0.009
562	0.03
409/1, 409/2	0.03
459	0.005
	योग : 2.467

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 225.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—धनोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.18.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
138	0.016
139	0.128
140	0.016
141	0.048
142	0.010
143	0.072
134	0.005
144	0.136
136	0.066
145	0.016
146	0.044
147/1	0.048
126/1, 126/2	0.048
125	0.040
118/1, 118/2	0.072
99	0.040

(1)	(2)
101	0.020
102	0.018
100	0.072
86	0.036
87	0.064
84	0.028
83	0.016
81	0.056
72	0.005
73	0.072
74	0.016
	योग : 1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 227.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—खड्डीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.909.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
1791	0.04
1790	0.03
1794	0.025
1801	0.096
1796	0.06
1798	0.06
1797	0.064
1795	0.056
1802	0.06
1862	0.04
1863	0.09
1864	0.036
1865	0.04
1866	0.056
1867	0.08
1868	0.008
1875	0.036
1876	0.08
1877	0.04
1878	0.04
1879	0.02
1880	0.025
1894	0.016
1937	0.12
1936	0.04
1924	0.17
1925	0.02
2071	0.1
2072	0.02
2078	0.04
2078	0.02
2077	0.02
2063	0.08
2068	0.05
2069	0.01
2079	0.03
2062	0.006
2065	0.07
2067	0.03
2043	0.025
1590	0.04
1589	0.02
1588	0.01
1587	0.02
1582	0.03
1583	0.02
1574	0.05
1575	0.02
1573	0.02
1578	0.02
1576	0.06
1577	0.02
1566	0.04

(1)	(2)
1498	0.04
1497	0.11
1499	0.035
1496	0.045
1495	0.058
1500	0.036
1501	0.04
1494	0.04
1493	0.035
1491	0.044
1489	0.03
1487	0.012
1488	0.005
1502	0.06
	योग : 2.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 229.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—धनहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.449.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
1157	0.236
1455/1, 1155/2, 1155/3	0.005
1153	0.160
1166/1, 1166/2	0.503
1152	0.0112
1151/1, 1151/2, 1151/3	0.20
1141 रास्ता	0.04
1129	0.130
1130	0.04
1127/1, 1127/2	0.10
1128, 1128/2	0.30
1125/1, 1125/2	0.048
1126/1, 1126/2	0.01
1076	0.30
1071	0.056
1072	0.296
1023/1, 1023/2	0.064
1022/1, 1022/2	0.08
1073	0.010
1020	0.156
1079	0.04
1080	0.16
1081	0.148
1019	0.012
1862	0.320
1863	0.064
1871	0.118
1870	0.048
1872	0.016
1869	0.0132
1874	0.216
1873	0.060
1875	0.110
1833	0.005
1831	0.005
1830	0.16
1829	0.056
1825	0.168
1813	0.080
1812	0.08
1811	0.070
1672	0.001
1815	0.136
1810	0.100
1808	0.173
1809	0.001
1716	0.36
1717	0.14
419	0.2240
420	0.020

(1)	(2)
430	0.2560
437	0.07
442	0.14
438	0.1450
441	0.0240
443	0.0720
451	0.008
452	0.0320
450	0.0240
459	0.080
460	0.0240
461	0.900
477	0.1000
476	0.0120
474	0.300
473	0.005
492	0.2240
493	0.0300
501	0.060
502	0.040
503	0.0550
500/1, 500/2	0.0320
507	0.004
509	0.0240
510/1, 510/2	0.0400
514	0.0560
513	0.0500
512	0.0600
554/1, 554/2, 554/3	0.110
553/1, 553/2	0.1280
555/5	0.0640
556	0.0360
570	0.0240
636	0.003
635	0.0480
634	0.0120
631	0.0300
632	0.0500
1036	0.1050
1032	0.06
1034	0.0880
110/1, 110/2, 110/3	0.2248
109	0.10
99	0.1440
100 मेड	0.002
101	0.002
95	0.0500
94	0.10
113	0.0003
86	0.030
89	0.2320
77	0.200
78	0.010
56	0.100
70/1	0.0320
70/2	0.0320
62	0.140
69	0.020
63	0.1760
62 रोड	0.03
18	0.2160
17	0.0280
16	0.320
20	0.020
22	0.1500
23	0.030
24	0.1450
167	0.100
170	0.1800
169	0.0360
172	0.020
171 मेड	0.030
173	0.020
179	0.110
180	0.10
181	0.040
190	0.200
192	0.2500
194	0.1920
248	0.04
253	0.050
766	0.10
772	0.0500
770 मेड	0.0300
858	0.3200
योग :	13.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 231.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—जमुनिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.500.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
563	0.0216
562	0.104
564	0.152
568	0.080
567 मेड	0.0128
581	0.0280
579 मेड	0.0850
569	0.0600
575	0.0320
571	0.230
548	0.040
547	0.0360
546	0.110
539	0.0544
540/1, 540/2, 540/3	0.100
538	0.0192
537	0.0240
536	0.0120
531	0.3520
532	0.020
530	0.005
372	0.110
371	0.0720
370 मेड	0.0160
369	0.120
368	0.0150
367	0.144
366 मेड	0.032
362/1, 362/2,	0.670
361	0.040
356/1 मेड, 356/2 मेड, 356/3 मेड.	0.040
357	0.005
355/1, 355/2, 355/3	0.005
357	0.005
336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6.	0.2640
331/1, 331/2	0.060
332	0.060
330/1, 330/2, 330/3, 330/4.	0.005
329	0.080
334/1 मेड, 334/2 मेड 334/3, 334/4.	0.024
311/1, 311/2, 311/3	0.090
314 मेड	0.0768
315	0.05
313 मेड	0.0816
312	0.040
316	0.0680
304	0.060
305/1, 305/2	0.060
95	0.064
168	0.0560
96	0.300
167	0.110
982	0.005
981	0.003
380	0.096
977/1, 977/2	0.65
978	0.005
886	0.128
887	0.005
888	0.048
864	0.076
858/1, 858/2, 858/3, 858/4.	0.032
942 मेड	0.032
857	0.0192
889	0.020
854	0.0144
890	0.0160
853	0.0704

(1)	(2)
891	0.007
833	0.001
834	0.128
831	0.0120
783	0.005
784	0.006
793	0.024
792	0.05
785	0.0576
782	0.110
603/1, 603/2, 603/3, 603/4, 303/5, 303/6, 303/7.	0.05
604/1 मेड, 604/2, 604/3 604/4, 604/5, 604/6, 604/7.	0.012
606	0.20
611	0.120
612/1, 612/2	0.001
613/1, 613/2	0.128
615	0.136
616	0.02
754	0.072
753/1, 753/2	0.024
752	0.032
751/1, 751/2, 751/3, 751/4.	0.015
750/1, 751/2	0.018
749	0.005
726/1, 726/2	0.05
625	0.151
617/1, 617/2	0.04
योग :	7.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 233.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—खड्डी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.184

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
850	0.084
849	0.045
851	0.057
852	0.031
853	0.082
854	0.0016
882	0.0576
884	0.0384
883	0.08
878	0.20
879	0.016
816	0.020
817	0.160
629	0.012
628	0.080
632	0.10
635	0.080
636	0.0920
601	0.0150
602	0.0400
603	0.080
599	0.0500
598	0.0500
597	0.006
596	0.0500
595	0.0780
489	0.0320
490	0.080
460	0.0250
461/1, 461/2	0.10
450	0.0252
361	0.1120
449	0.0140

(1)	(2)
336	0.030
365	0.060
362	0.0600
328	0.0400
	योग : 2.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—कोनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.717 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
377	0.0480
368	0.005
367	0.220
366	0.03
365	0.04
364	0.290
358	0.04
279	0.064
337/1 337/2	0.160
351	0.040
350	0.180
349/1 349/2	0.10
346	0.0240
348/1 348/2 348/3 348/4	0.07
344	0.10
343	0.0920
342	0.0720
320/1	0.0200
320/2 321/1 321/2	0.010
322	0.060
323	0.0450
307	0.03
308/1 308/2 308/3 308/4	0.1950
309	0.060
304	0.050
243	0.0160
242	0.02
241	0.085
240	0.060
245	0.06
246	0.0350
239	0.0400
216	0.090
214	0.005
217	0.0150
183	0.140
182	0.005
179	0.090
178	0.010
125	0.010
126	0.120
124	0.10
127	0.0160
113	0.010
112	0.240
111	0.140
98	0.023
100	0.0520
110	0.0500

(1)	(2)
101	0.02
102	0.0220
103	0.005
104	0.10
105	0.10
57	0.0560
58	0.02
59	0.048
56	0.020
48	0.0120
47	0.07
43	0.010
46	0.030
42	0.0160
41	0.150
40	0.04
39	0.013
38	0.02
34	0.20
35	0.02
36	0.04
37	0.12
263	0.176
262	0.0320
259	0.030
118	0.176
178	0.048
166	0.072
165	0.005
164	0.07
163	0.005
162	0.07
135	0.003
134	0.005
137	0.06
138	0.022
139	0.01
147	0.03
85	0.020
84	0.008
149	0.01
82	0.04
77	0.048
78	0.01
66	0.016
160	0.005
161	0.003
79	0.016
योग :	5.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 237.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—बडेसर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.900

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)
1086	0.020
1087	0.089
1185	0.128
1184	0.007
1187	0.028
1186	0.088
1200	0.005
1203	0.078
1201	0.045
1202	0.034
1209	0.016
1218	0.160
1229	0.056
1228	0.031
1226	0.052
1256	0.063
योग :	0.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 239.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—इटहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.933

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल
(1)	(2)
99	0.584
95	0.112
96	0.198
93	0.016
77	0.008
79	0.432
88	0.028
87	0.200
68	0.184
61	0.088
62	0.02
63	0.028
293	0.184
292	0.168
265/1	0.140
290/1	0.048
297	0.136
280	0.028
279	0.024
289	0.040
299	0.016
278	0.024
301	0.050
302	0.130
304	0.088
306	0.016
327	0.048
305	0.184
326/1	0.088
325/1	0.059
323/1	0.042
324/1	0.120
322	0.012
321	0.048
320	0.032
319	0.032
413	0.072
318	0.040
317	0.058
315/1	0.128
314	0.051
313	0.032
306	0.056
310	0.072
309	0.048
312	0.001
311	0.040
522	0.065
521	0.018
523	0.060
524	0.024
520	0.059
519	0.039
525	0.04
518	0.044
674	0.03
673	0.030
672	0.005
670	0.060
671	0.046
675	0.120
676	0.008
721	0.192
722	0.078
667	0.063
718	0.005

(1)	(2)
723	0.072
666	0.020
645	0.184
748	0.068
743	0.006
749	0.068
742	0.072
750	0.032
818	0.032
371	0.032
370	0.164
373/1	0.072
374	0.096
368	0.264
367	0.064
306	0.048
293	0.152
292	0.168
291	0.152
290	0.176
287	0.240
286	0.096
116	0.120
115	0.040
114	0.016
113	0.240
111	0.096
110	0.256
102	0.096
99	0.344
2	0.168
71	0.040
योग :	8.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 241.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—चौगनहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.532

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
133/2	0.110
136	0.135
134	0.096
135	0.088
159	0.120
158	0.124
156	0.028
161	0.076
178	0.044
177	0.036
176	0.056
182	0.016
195	0.040
194	0.212
201	0.080
202	0.072
209	0.120
215	0.028
213	0.088
214	0.016
216	0.06
224	0.168
225	0.048
121	0.032
98	0.038
99	0.162
94	0.200
91	0.032
92	0.096
209	0.024
207	0.052

(1)	(2)
208	0.048
206	0.048
205	0.052
289	0.024
288	0.028
267	0.084
287	0.032
283	0.024
284	0.026
285	0.024
286	0.072
371	0.024
370	0.070
372	0.036
381	0.128
357	0.018
382	0.098
358	0.03
383	0.006
550	0.048
549	0.024
552	0.034
540	0.008
547	0.009
456	0.028
551	0.012
योग :	3.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 243.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—बरौ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.494

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
1272	0.14
1264	0.057
1275	0.0560
1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/4	0.079
1277	0.1170
1278	0.09
1279	0.012
1241	0.050
1240	0.012
1239	0.0660
1238	0.069
1237	0.0640
1236/1, 1236/2	0.0768
1102	0.02
1087/1, 1087/2	0.056
1086	0.120
1083	0.090
1084	0.006
1081	0.0380
1082	0.050
1080	0.080
1079	0.0290
970	0.034
971	0.0300
968	0.0006
967	0.045
976	0.030
966	0.0375
965	0.01
964	0.0920
940	0.10
980	0.02
938	0.013
939	0.064

(1)	(2)
934	0.04
935	0.080
936	0.045
933/1	0.10
933/2	
906/1	0.28
906/2	
907/1580	0.048
753	0.025
754	0.090
767/1	
767/2	0.07
767/3	
767/4	
768/1	0.07
768/2	
766/1	
766/2	0.080
766/3	
765	0.0200
762	0.0250
738	0.022
739	0.060
736/1	0.0350
736/2	
737/1	0.0720
737/2	
642	0.10
643	0.030
644	0.10
646	0.0130
651/1	0.1520
651/2	
650	0.0640
649	0.005
659	0.0450
558	0.0320
559	0.056
557	0.040
561/1	
561/2	0.0500
561/3	
561/4	
562/1	0.010
562/2	
562/3	0.010
556	0.015
544/1	
544/2	0.085
544/3	
544/4	
543	0.0160
542	0.040
541	0.044
534	0.01
535	0.10
537	0.0720
533	0.008
450	0.0160
451	0.1850
452	0.010
453	0.050
454	0.0640
458	0.050
459	0.05
464	0.0840
465	0.030
492	0.035
489	0.1020
470	0.080
488	0.0350
471	0.041
482	0.012
476	0.060
477	0.0975
478	0.1150
282	0.010
281	0.005
283	0.050
280	0.090
483	0.0430
योग :	5.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 247.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—रिमारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.331

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
530	0.128
532	0.093
533	0.012
534	0.028
526	0.032
527	0.032
575	0.004
525	0.005
536	0.050
537	0.032
502	0.040
520	0.020
503	0.072
521	0.039
513	0.009
518	0.040
529	0.002
459	0.010
460	0.080
461	0.01
457	0.026
456	0.080
455	0.024
422	0.081
423	0.038
424	0.008
425	0.058
426	0.016
420	0.04
412	0.002
411	0.005
410	0.07
409/1, 409/2	0.051
408	0.057
407	0.076
306/1, 360/2, 360/3	0.157
362	0.016
337	0.016
336	0.200
334	0.223
335	0.016
230	0.015
231	0.031
276	0.02
277	0.020
268	0.011
267	0.042
233	0.044
234	0.036
261	0.010
237	0.056
236	0.024
238	0.012
योग	2.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 249.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—मोहनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.741

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित क्षेत्रफल (2)
480	0.005
481	0.024
482	0.02
476	0.096
466	0.160
474	0.056
467	0.040
473	0.072
470	0.024
472	0.066
471	0.020
708	0.056
710	0.017
707	0.080
726	0.02
711	0.020
712	0.028
713	0.040
691	0.075
741	0.012
508/1 508/2	0.016
509/1 509/2	0.200
510	0.024
513	0.044
522	0.046
521	0.048
526	0.032
519	0.040
528	0.016
609	0.036
610	0.020
611	0.020
613	0.072
612	0.080
604	0.064
योग :	1.741

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 26 अप्रैल 2012

प्र. क्र. भू-अर्जन-अ.वि.अ.-01-अ82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—निरावल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.42 हे.

खसरा नं. (1)	रकवा (हे. मे) (2)
146	0.16
147	0.32
157	1.00
185	0.64
186	0.10
192	0.01
193	0.22
194	0.01
195	0.77
196	0.08
197	0.33
198	0.10

(1)	(2)
199	0.09
200	0.22
201	0.22
202	0.63
203	0.42
204	0.46
205	0.60
206	0.67
209	0.08
210	0.31
211	0.34
212	0.44
213	0.47
215	0.68
216	0.05
योग :	9.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दतिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 मई 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-11-12-.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—दमोह

(ग) ग्राम—रियाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.549 हेक्टेयर.

1. बांध एवं वेस्ट वीयर क्षेत्र की भूमि का विवरण

खसरा क्रमांक	रकवा (हे. मे)
(1)	(2)
52/1 में से	0.10
54/1 में से	0.003
51 में से	0.20
43	1.24
44 में से	0.018
45 में से	0.06
46 में से	0.10
4 में से	0.001
6 में से	0.13
7 में से	0.34
9 में से	0.50
11	0.45
12	0.75
10 में से	0.10
13 में से	0.55
16 में से	0.062
17	0.55
18	0.42
15	0.50
14	0.56
34	0.66
33	0.13
32	0.02
31	0.02
30	0.03
28	0.04
27	0.06
26	0.04
25	0.07
24	0.08
23	0.06
22	0.13
21	0.12
20	0.12
35	0.14
36	0.09

(1)	(2)
37	0.05
38	0.04
39	0.05
40	0.06
41	0.06
42	0.04

2. नहर क्षेत्र की भूमि का विवरण (मुख्य नहर)

52/2 में से	0.09
53 में से	0.12
54/1	0.08
56 में से	0.06
57 में से	0.06
63 में से	0.02
61/2	0.02
64/2 में से	0.005
62 में से	0.02
86 में से	0.007
87 में से	0.02
85/2 में से	0.19
84 में से	0.08
83 में से	0.31
122 में से	0.005
123 में से	0.005
121 में से	0.005
124 में से	0.005
126 में से	0.009
127 में से	0.006
129 में से	0.006
130 में से	0.005
131 में से	0.009
140 में से	0.10
209 में से	0.06
208 में से	0.10
217 में से	0.09
218 में से	0.11
241 में से	0.004
242 में से	0.12
274 में से	0.005
273 में से	0.008
260 में से	0.002
261 में से	0.002
349 में से	0.007
625 में से	0.01
626 में से	0.009
622 में से	0.041
योग :	10.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रियाना जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, दमोह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 मई 2012

क्र. 1334-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—नकटा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.121 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
42	0.121
योग . .	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1336-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—फरहद जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.058 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
179	0.010
314	0.048
योग . .	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1338-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—डेल्ही कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.104 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
717	0.006
1424	0.098
योग . .	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1340-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—हिनौता पं. भगवानराम

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.068 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
86	0.056
84	0.012
योग . .	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1342-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—रिमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.817 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
721	0.220
436	0.175
548	0.012
737	0.012
746	0.050
708	0.275
579	0.028
498	0.020
557	0.025
योग . .	0.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1344-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पाली कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.090 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
165	0.090
योग . .	0.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1346-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—बैकुण्ठपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.453 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
251	0.078
253	0.004
225	0.030
224	0.030
141	0.032
144	0.008
470	0.033
467	0.032
468	0.132
182	0.074
योग . .	0.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1348-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—पथरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.130 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
121	0.010
126	0.036
165	0.012
115	0.020
215	0.024
226	0.008
521	0.010
527	0.010
योग . .	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1350-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—पुरवा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.147 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
331	0.023

(1)	(2)
445	0.012
446	0.097
451	0.015
योग . .	0.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1352-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—तिलखन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.466 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2354	0.050
2342	0.015
2350	0.004
2285	0.030
1779	0.060
1785	0.015
1757	0.040
3001	0.167
1780	0.049
1782	0.036
योग . .	0.466

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1354-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—फरहद कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
74	0.012
88	0.012
334	0.016
योग . .	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1356-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पाली अमरीश सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.189 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
200	0.120
217	0.069
योग . .	0.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1358-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सौर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
27	0.004
273	0.016
योग :	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1360-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—हटवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.174 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
349	0.045
618	0.32
578	0.097
योग :	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1364-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) नगर/ग्राम—करहिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.097 हेक्टेयर.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
414/2क	0.097
योग . .	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1368-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—चरहई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.57 हेक्टेयर.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
703	0.01
704	0.03
705	0.12
706	0.11
707	0.01
712	0.04
716	0.08
717	0.11
718	0.01
719	0.04
722	0.01
योग . .	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1370-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—धुम्मा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.79 हेक्टेयर.

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
136	0.02
137	0.12
532	0.340
533	0.080
534	0.100
535	0.060

(1)	(2)
546	0.010
547	0.010
548	0.010
549	0.04
योग . .	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1372-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—धुम्मा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.52 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)
782	0.30
783	0.010
864	0.060
865	0.050
866	0.020
867	0.060
871	0.010
873	0.010
874	0.020
875	0.010
877	0.010
878	0.020
879	0.040
880	0.040
885	0.030
886	0.010
900	0.010
948	0.030
949	0.070
955	0.060
958	0.010
1019	0.020
1020	0.050
1022	0.430
1026	0.080
1029	0.050
1030	0.140
1033	0.010
1040	0.060
1042	0.060
1077	0.060
1078	0.010
1079	0.060
1083	0.060
1084	0.040
1135	0.140
1138	0.080
1139	0.070
1140	0.020
1141	0.030
1143	0.130
1144	0.010
1145	0.050
1146	0.020
1197	0.340
1199	0.150
1238	0.180
1240	0.150
1241	0.070
1245	0.070
1248	0.100
1250	0.170
योग . .	3.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1374-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—धनेसर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.89 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)	
79	0.110	
80	0.020	
84	0.010	
85	0.040	
126/2	0.010	
127/2	0.100	
127/1	0.110	
129	0.010	
137	0.040	
166/1	0.140	
166/2	0.100	
167	0.010	
168	0.100	
169/2	0.050	
180	0.190	
183	0.030	
184	0080	
185	0.010	
186	0.230	
187	0.010	
190	0.010	
192/3,4	0.050	
128	0.010	(म. प्र. शासन)
181	0.040	(म. प्र. शासन)
191	0.080	(म. प्र. शासन)
वन खण्ड पहाड़ी	0.300	
योग . .	1.89	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1376-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—गड़हरा प्रतिपाल सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.16 हेक्टेयर.

खसरा नं (1)	रकबा (हे. में) (2)	
100	0.100	
101	0.090	
102	0.35	
103	0.110	(म.प्र. शासन)
104	0.060	
163	0.160	
240	0.020	
247	0.130	
248	0.130	
249	0.060	
250	0.020	
251	0.070	
योग . .	1.30	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1378-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—गड़हरा राघोभान सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
490	0.06
योग . .	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय / भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1380-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—गड़हरा राघोभान सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.310

खसरा नं	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
294	0.020
295	0.290
योग . .	0.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1382-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—महुरछ कंदैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.126 हे.

खसरा नं	अर्जित रकबा (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
निजी खाता		
521/1ख	0.078	हिनौती वितरक नहर हेतु.
633/1	0.048	
योग . .	0.126	

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1384-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—कोल्हड़ी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.074 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
83	0.240
84	0.016
85	0.016
86	0.296
90/1क, 90/1ख, 90/2/1, 90/2/2	0.368
94	0.048
104	0.018
105	0.136
106	0.160
129/1, 129/2	0.136
143	0.312
145/1, 145/2	0.136
147/1, 147/2	0.008
150	0.160
264/1क, 264/1ख, 264/2	0.008
योग (अ)	: 2.058
(1)	(2)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
128	0.016
योग (ब)	: 0.016
महायोग (अ+ब)	: 2.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1386-प्रका.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—सिजहटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.041 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
445	0.152
447	0.096
448	0.032
454	0.030
455	0.242
458	0.010
459	0.134
460	0.100
461	0.100
464	0.232
465	0.042
469	0.040
470	0.071
485	0.048
486	0.048

(1)	(2)
496	0.012
499	0.120
500	0.136
501	0.080
504	0.090
505	0.112
509	0.020
511	0.280
512	0.120
553	0.240
554	0.040
555	0.012
556	0.096
557	0.010
563	0.016
570	0.080
970	0.040
971	0.200
972	0.016
973	0.208
977	0.040
978	0.200
979	0.040
980	0.120
981	0.200
982	0.056
1063	0.080
	योग : 4.041

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1390-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—खारी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.036 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी खाता	
185/1, 185/2	0.036
	योग : 0.036

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 808-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2218	0.01
2219	0.03
2220	0.06
2221	0.02
	योग : 0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर (लालपुर पिकअप वियर पश्चात्) के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 29 मई 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-818.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—जैतपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.96 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
281	0.48
282/2	0.48
	योग : 0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (आर.बी.सी.) दांया तट नहर का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 30 मई 2012

क्र. 834-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—जयरावन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.53 हेक्टेयर

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
564	0.07
565	0.32
569/2	0.14
	योग : 0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 835-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—राजगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.98 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
69	0.06
132	0.06
71	0.11
76	0.16
77	0.05
78	0.32
80	0.30
84	0.21
87	0.31
88	0.23
144	0.30
145	0.40
146	1.43
149	0.02
150	0.25
203	0.02
204	0.02
152	0.24
161	0.65
162	0.12
1019	0.18
1020	0.36
1021	0.18
	योग : 5.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 836-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—आमोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.46 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
218	0.02
219	0.09
221	0.11
222	0.05
223	0.08
224	0.02
237	0.24
244	0.10
245	0.18
246	0.04
253	0.18
254	0.18
258	0.03
259	0.36
261	0.09
265	0.05
266	0.28
249	0.03
298	0.05
476	0.56
477	0.01
478	0.21
479	0.30
485	0.38
486	0.23
487	0.29
488	0.02
489/1	0.05
489/2	0.05
490/1	0.21
490/2	0.20

(1)	(2)
494	0.01
495	0.01
497	0.05
542	0.01
1364	0.01
1365	0.14
1366	0.02
1367	0.03
1372/1	0.02
1373	0.20
1374	0.13
1388	0.03
1389	0.18
1390	0.15
1391	0.01
1806	0.29
1847	0.18
1927	0.07
1936	0.10
1937/1	0.08
1937/2	0.04
1938	0.12
1941	0.01
1961	0.08
2147	0.07
2152	0.28
2159	0.11
2160	0.20
2169	0.01
2194	0.07
2195	0.13
2213	0.09
2214	0.07
2215	0.07
2217	0.14
2233/1	0.33
2233/2	0.03
2234	0.20
2239	0.03
2240	0.04
2241	0.20
2242	0.07
2279	0.23
2280	0.66
2281	0.41
2282	0.13
2288	0.26
2318	0.02
2319	0.12
2320	0.26
2326	0.40
2327	0.34
2329	0.16
2330	0.19
2348	0.06
2351	0.48
2352	0.10
2364	0.12
2391	0.13
2392	0.14
2393	0.01
2415	0.02
2421	0.42
योग	: 13.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला मुख्य नहर के निर्माण एवं डी-3, एम-3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 837-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—आमोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.82 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
785	0.14
786	0.10
789	0.10
790	0.06
799	0.11
817/3	0.20
817/4	0.13
818	0.14
820	0.13
824	0.08
825	0.03
826	0.04
827	0.11
828	0.24
830	0.08
833	0.08
834	0.23
835	0.05
837	0.03
844	0.20
847	0.13
848	0.13
855	0.54
857	0.03
2598	0.11
2599	0.06
2602	0.11
2603	0.09
2606	0.10
2786	0.03
2977	0.01
2978	0.09
2979	0.01
2981	0.01
2983	0.02
2996	0.08
2997	0.11
3007	0.14
3008	0.13
3017	0.12
3018	0.04
3019	0.09
3020	0.08
3021	0.05
3022	0.06
3026	0.16
3027	0.03
3102	0.02
3106	0.18
3107/1	0.07
3108	0.29
3109	0.02
3111	0.06
3115	0.20
3116	0.15
3117	0.13
	योग : 5.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-4, एम-4 एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 838-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—पारागढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.81 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
48	0.10
67	0.11
68	0.16
78	0.08
79	0.02
81	0.17
82	0.11
84	0.08
85/1	0.19
87	0.04
88	0.06
89	0.07
93	0.01
96	0.03
98	0.08
99	0.15
102	0.08
103	0.16
172	0.04
173/1	0.07
173/2	0.04
174	0.10
175	0.07
180	0.01
353	0.28
356	0.16
357	0.16
359	0.02
361/1	0.08
361/2	0.03
362	0.18
363	0.12
364/2	0.04
364/3	0.20
369	0.18
375	0.05
376	0.06
377/1	0.17
377/2	0.12
(1)	(2)
378	0.01
379	0.01
380/1	0.72
380/2	0.16
381/1	0.08
381/2	0.23
382	0.20
383	0.30
387	0.01
388	0.23
389	0.21
392	0.16
393	0.10
394	0.71
395	0.28
397	0.01
398	0.36
399	0.01
413	0.16
414/2	0.23
415	0.18
417	0.09
418	0.17
420	0.28
423	0.02
424/4	0.20
424/5	0.49
424/6	0.50
434	0.28
461	0.68
462/1	0.28
467	0.05
468	0.29
469	0.10
470	0.22
471	0.28
472	0.15
473	0.05
474/1	0.51
474/2	0.01
476	0.02
योग	: 12.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-4, एम-4 एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 839-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—करैरा
(ग) नगर/ग्राम—जयनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.71 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8	0.09
9	0.03
10	0.15
11	0.10
15/1	0.22
15/2	0.32
16	0.16
17	0.63
20	0.18
24	0.24
25	0.11
32	0.01
34	0.33
35	0.27
463	0.12
465 मिन	0.20
466	0.01
480	0.11
481	0.17
482	0.02
483	0.24
	योग : 3.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर की डी-4 एवं इसकी सब मायनरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 26 मई 2012

क्र. 1818-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र.-अ-82-**संशोधन.**—भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-10-11 ग्राम करवड़ की कृषि भूमि, पटवारी हल्का नम्बर 10, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक (साधारण) के पृष्ठ क्र. 1757-58, दिनांक 20 मई 2011 को तथा समाचार-पत्र दैनिक प्रसारण एवं स्वदेश में प्रकाशन जी नंबर 12993/11 द्वारा प्रकाशित की गई है. जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—करवड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टर.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टियां		**संशोधित/नवीन प्रविष्टियां**	
सर्वे नम्बर	अर्जित भूमि का रकबा	सर्वे नम्बर	अर्जित भूमि का रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
	निजी भूमि		
302	0.06	302	0.04
58	0.05	58	0.10
59	0.25	59	0.18
51	0.07	51	0.02
9/2	0.07	9/2	0.02
–	–	56	0.08
–	–	57	0.06
	0.50		0.50

नोट.—पूर्व में प्रकाशित शेष सभी प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

झाबुआ, दिनांक 28 मई 2012

क्र. 1837-भू-अर्जन-2012-रा.प्र.क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानीसिंग बैराज
(ग) नगर/ग्राम—घुघरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.69 हेक्टेयर.

निजी भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
596/1	0.40
595	0.29
	योग : 0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 26 मई 2012

प्र. क्र. 14अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-4341.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सेमझिरा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—206.678 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
643	0.150
634/1	0.437
655/1	0.972
649	0.100
650	0.070
655/3	0.416
656/1	0.940
621/1	0.130
656/2	0.630
656/4	0.080
632/5	0.396
656/3	0.015
656/5	0.140
471/4	0.010
621/3	0.200
656/6	1.160
632/4	0.400
656/8	0.215
656/9	0.510
621/2	0.140
654/2	2.124
654/3	0.689
654/5	1.288
654/4	2.387
654/11	1.571
654/6	0.283
654/7	0.880
654/8	0.321
654/9	0.649
304/1	1.441
304/5	0.776
304/2	4.407

(1)	(2)	(1)	(2)
471/1	0.170	616/2	0.465
621/4	0.323	616/7	0.652
303	0.660	447	0.024
635/1	1.416	614/3	1.117
635/2	0.890	616/3	0.445
635/4	0.121	616/5	0.679
635/3	0.162	616/4	0.477
635/5	0.855	616/6	0.640
636/1	0.476	616/8	2.225
638/3	0.407	618/1	1.049
638/4	0.142	618/3	0.324
638/6	0.182	622/2	0.421
636/2	0.525	446	0.024
638/2	0.698	452	0.121
638/5	0.117	618/2	1.257
634/2	0.405	622/1	0.421
636/3	0.295	440	0.741
636/4	0.222	450	0.251
638/1	0.100	456	0.170
637/1	0.100	458	2.493
637/2	0.691	624	1.741
632/3	0.064	630	1.190
639/4	0.348	597/1	0.405
640/4	0.341	592/3	0.400
640/3	0.223	592/5	0.607
632/2	0.405	592/9	0.666
655/2	0.100	592/12	0.445
612	2.600	597/2	1.127
293	0.300	592/2	0.410
448	0.024	592/4	0.466
454	0.020	592/7	0.506
613	1.389	592/10	0.607
617	1.315	597/4	0.609
619	0.910	597/7	0.203
623	0.845	597/5	0.160
288	0.290	599/1	1.445
439	0.478	599/2	0.061
614/1	0.322	601/1	0.506
627	0.482	602	0.295
628	0.202	609/1	0.234
614/2	0.972	600	1.319
616/1	1.115	605/2	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
607/1	1.200	583/10	0.065
601/3	0.081	583/12	0.096
601/2	0.140	583/14	0.215
603	0.283	464	1.069
604/1	2.010	467	0.587
605/1	3.845	472	0.180
605/3	0.081	473	0.100
607/2	0.061	475	0.028
608	0.540	477	0.219
601/5	0.810	478	0.020
606/4	1.062	476	0.024
606/1	0.405	479	0.202
604/2	0.300	480	0.162
610	0.190	481	0.299
590	0.223	484	0.041
591	0.271	437	0.020
595	0.041	444/2	0.606
588/2	0.276	449	0.024
593/2	0.219	451	1.652
482	0.801	453	0.041
581	0.028	295	0.165
594	0.405	297	0.478
220	0.130	299	1.619
580/1	0.898	300	0.466
580/2	0.174	438	0.478
582	0.077	445/1	0.012
187	1.729	457/1	0.880
583/2	0.462	441	0.376
222/2	0.024	444/1	2.660
188/4	0.055	420	0.676
226/2	0.020	421	0.555
583/1	0.061	459/1	0.409
583/5	0.214	455	0.162
583/13	0.101	459/2	0.405
189	0.588	460/1	1.372
190	0.007	460/3	0.729
584	2.200	460/4	0.729
586/1	0.251	461	0.809
586/2	0.251	462/1	0.891
150	0.073	462/3	0.607
587	0.081	462/6	0.283
588/1	0.092	462/2	1.619

(1)	(2)	(1)	(2)
462/4	0.607	347	0.514
462/5	0.283	343	0.943
443/3	0.982	355	0.090
443/4	0.982	278	0.235
183	2.153	280	0.009
365	1.335	380	0.089
372	0.486	307/1	0.061
373	0.243	308/1	1.093
184	0.178	308/4	0.696
370	0.325	308/7	0.057
371	0.526	308/9	0.267
375	0.845	308/12	0.235
376	0.526	310/2	0.280
396	1.890	310/9	0.405
185	0.097	310/6	0.585
395	0.930	296	0.084
344	1.534	298/1	0.271
186	0.097	298/2	1.214
349	0.450	284/1	2.526
366	0.567	285/1	1.339
368	0.243	286/1	0.263
378	0.202	287/1	1.083
379	0.190	284/2	0.890
394	0.930	285/2	0.446
383/1	0.116	286/2	0.162
384/1	0.396	279	0.800
384/2	0.061	283	0.081
384/3	0.142	281	2.088
386	0.506	188/5	0.035
387	0.749	223	0.041
385	0.154	222/1	0.029
393	0.053	226/1	0.021
367	0.628	156/8	0.185
388	0.833	101/6	0.140
369	0.243	101/7	0.648
377	0.446	101/8	0.409
390	0.981	101/10	0.243
391/1	1.017	147	0.070
391/2	0.335	99	0.080
313	0.101	175	0.413
315	0.070	172/1	0.017
345	1.788	173/1	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
639/5	0.052	443/2	0.841
640/6	0.101	445/2	0.012
656/7	0.610	457/2	0.294
304/3	0.510	312/2	0.156
304/4	1.680	348/2	0.524
592/1	0.370	350/2	1.000
592/6	0.607	306/1	0.065
592/8	0.530	307/2	0.065
592/11	0.688	308/3	0.930
597/3	0.203	308/5	0.664
597/6	0.620	308/8	0.259
632/1	0.436	308/11	0.267
633/1	0.550	310/1	0.400
639/1	1.400	310/4	0.166
640/1	0.520	310/8	0.545
640/7	0.506	310/10	0.202
640/9	0.902	311	0.100
620	0.777	101/9	0.350
654/12	1.260	363	0.018
606/5	0.810	583/4	0.477
601/4	0.777	583/3	0.273
606/2	0.200	583/16	0.065
606/3	0.373	583/11	0.008
633/2	0.182	583/15	0.015
639/3	0.138	392/1	0.450
640/2	0.263	188/12	0.324
640/5	0.262	392/2	0.508
640/8	0.263	188/10	0.304
364/1	0.608	188/13	0.893
382	0.069	188/11	0.324
442/1	0.120	276/3	0.500
442/3	0.101	221	0.053
442/5	0.101	225	0.062
443/1	1.967	294	0.231
312/1	0.156	301	0.499
348/1	0.525	306/2	0.145
364/2	0.461	307/3	0.307
364/3	0.405	308/2	0.955
383/2	1.098	308/6	0.712
442/2	0.115	308/10	0.259
442/4	0.105	310/3	0.230
442/6	0.080	310/5	0.202

(1)	(2)
310/7	0.608
310/11	0.081
384/5	0.490
389	0.551
414	0.990
639/2	0.142
384/4	0.405
637/3	0.721
641	0.713
642	0.351
644/2	0.150
648	0.235
651	0.526
652	0.364
177/2	0.050
654/13	0.729
654/10	1.295
654/1	0.890
287/2	0.324
227/6	0.370
योग :	206.678

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—देहगुड़ जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 मई 2012

क्र. 179-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सिलपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.120 हेक्टेयर.

शुद्धि-पत्र

कार्यालयीन पत्र क्र. 111-भू-अर्जन-2012, दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1346 एवं 1347 में दिनांक 28 मार्च 2012 को त्रुटिवश प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित खसरा नम्बर एवं रकबा (अशुद्ध प्रकाशन ''क'') के स्थान पर नीचे लिखे सही खसरा नम्बर एवं रकबा (शुद्ध प्रकाशन 'ख') अनुसार पढ़ा जाय :—

अशुद्ध प्रकाशन 'क'			**शुद्ध प्रकाशन 'ख'**		
ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा (हे. में)	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
सिलपरी	37	0.582	सिलपरी	46	0.028
	38	0.035		45	0.085
	39	0.070		93	0.017
	40	0.120		47	0.145
	42	0.237		41	0.206
	43	0.030		97	0.085
	44	0.251		469	0.054
	48	0.385		467	0.095
	468	0.547		100	0.261
	466/4	0.081		507	0.110
	465/1	0.081		458	0.034
	466/2	0.081			
	466/3	0.081			
	465/2	0.082			
	466/5	0.081			
	466/6	0.081			
	465/3	0.051			
	466/1	0.081			
	463	0.520			
	461	0.573			
	435	0.446			
	436	0.154			
	459	0.281			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	460	0.048			
	429/1	0.566			
	429/2	0.117			
	429/3	0.060			
	429/4	0.022			
	426	0.006			
	427	0.177			
	428	0.481			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—रीवा रिंगरोड का एन्युटी योजना के अन्तर्गत निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 मई 2012

प्र. क्र. 24अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—रेखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि—2.289 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
418/3	0.090
69/2	0.050
69/1	0.030
67/2, 70	0.076
469/1	0.032
468	0.010
480/1/1	0.160
88/2	0.064
72	0.102
88/1	0.069
104/1	0.050
71/1/1	0.040
85/2	0.020
440/2	0.064
61	0.070
62	0.045
68	0.083
108/1	0.005
103	0.096
465	0.192
439	0.237
467/1	0.166
86/1	0.115
388	0.032
419	0.122
106/1/1	0.020
81	0.108
89	0.032
418/1, 418/2	0.096
438	0.013
योग	: 2.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—खपट्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.882 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
472	0.128
508	0.096
70	0.005
67	0.192
64	0.077
65	0.077
73	0.307
	योग : 0.882

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—सदाफल

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.925 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
182	0.090
140	0.026
141, 142	0.096
139	0.077
218/3/2	0.012
67	0.259
20/3	0.105
21/1/1	0.005
20/1	0.014
245/1/1, 245/2/1	0.125
212	0.048
69, 70	0.144
11/1	0.135
8/1	0.153
215	0.048
218/3/1	0.012
218/1	0.020
214/2	0.042
245/1/2, 245/2/2	0.115
49	0.202
50	0.105
20/2	0.096
22/2	0.058
203, 204/1	0.115
178	0.070
229/2	0.158
227/1	0.144
228/2	0.014
219	0.019
180/2, 180/3	0.108
7	0.014
25/2	0.010
181	0.012
102	0.032
64	0.043
66	0.338
210	0.048
73	0.081
74	0.067
218/2	0.019
220, 221	0.086
180/1	0.083
25/1	0.077
24	0.086
23	0.019
11/2	0.014
12	0.005
9	0.210
225	0.053
72	0.013
	योग : 3.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—बगमऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.441 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1014/1	0.044
749/2/3	0.071
1808	0.140
737	0.064
1025	0.058
1026	0.064
1040	0.083
723	0.128
644/2	0.032
726	0.060
1810	0.166
1172	0.141
1174	0.010
724	0.116
728	0.024
732/2/ख	0.116
1180	0.090
749/1/1/3	0.020
749/2/1	0.016
750/1/2	0.010
722	0.064
684/2	0.016
1809/2	0.077
644/1	0.064
894	0.160
1171	0.010
1328	0.186
1330	0.083
1331	0.064
1684	0.006
1691	0.128
732/2/क	0.077
1335	0.109
1175	0.051
1699	0.180
1812	0.015
1814	0.020
1815	0.058
1816	0.006
1819	0.060
1820	0.083
1152	0.064
1151	0.064
1167	0.077
1268	0.067
1150	0.100
1176	0.100
1153	0.010
653	0.010
1683	0.045
652	0.045
656	0.058
749/1/1/2	0.135
749/2/2	0.064
879	0.103
1013	0.045
876	0.020
880	0.166
893	0.103
755	0.038
1852	0.180
1838	0.008

(1)	(2)
1806/1, 1806/2/3	0.154
718/2	0.045
1336	0.096
1154	0.154
727	0.076
1016	0.128
1017	0.109
1014/2	0.038
1701/2	0.048
1265	0.038
1185	0.013
1187	0.038
1186	0.032
योग	: 5.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—टूड़ा (लक्ष्मनपुरा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.584 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
652/1	0.050
654/1	0.110
616/4	0.109
616/1, 616/2	0.115
626/1	0.026
652/2	0.064
654/2	0.110
योग	: 0.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—देवीखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.903 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
212/1	0.180
212/2	0.160
172/1	0.192
217	0.083
213	0.288
योग	: 0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत शाखा/उपशाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 10 मई 2012

क्र. 5230-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बांकपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—बांकपुरा, कालाकोट, चन्देरी, चौंतरा, सींगापुरा, सारस्याबे एवं कानड़ियाखेड़ी.

(घ) क्षेत्रफल—204.093 हेक्टेयर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम—बांकपुरा, क्षेत्रफल 3.069 हेक्टेयर	
196/2	0.253
215/1(का)	0.645
215/1(ख)	0.215
215/2	0.215
215/3	0.215
237/213	0.051
211/2	1.291
214/3	0.056
211/1	0.128
ग्राम—कालाकोट, क्षेत्रफल 52.431 हेक्टेयर	
3/10	0.533
12/17	1.265
3/14	0.480
3/16	0.506
5	0.425
6	1.366
7	4.770
16	0.177
14	1.568
20	0.518
21	0.568
23	0.898
27	0.708
29	0.721
30	0.822
31	0.051
32	0.670
33	1.101
40	1.456
41	0.013
42	1.138
43	0.013
44	0.759
4/2	1.023
58/8	0.278
9	0.278
59/10	0.051
60/11	0.152
61/12	0.038
62/10/3	0.500
10/2	0.310
12/13	1.012
17/3	0.316
45/1	0.076
45/2	0.051
45/811	2.706
26/1	0.654
34/4	2.086
62/10/1	0.360
45/3/1	0.145
26/2	0.217
28	0.202
35/4/1	0.468
11/1	1.200

(1)	(2)
12/5	0.759
35/1	0.506
11/2	0.318
12/19	0.113
12/12	1.202
34/3	0.063
35/2	0.063
12/14	1.770
12/16	2.023
45/4	0.010
12/20/1	0.910
12/21	0.072
12/20/2	0.610
12/25	2.023
56/12	1.467
12/11	0.253
17/2	1.012
15	0.392
17/1	0.329
25/1	0.618
34/1	0.759
34/2	0.025
35/5	0.253
36	0.259
38	1.644
39	0.822
62/10/2	0.392
35/3	0.126
3/13	0.400
65/8	0.089

ग्राम—चन्देरी, क्षेत्रफल 71.191 हेक्टेयर

3/1/2	0.650
3/1/3	1.000
3/1/4	1.000
46/3	0.063
3/3/1	0.257
28/1	0.506
73/4	0.240
74	0.455
3/4	2.023

(1)	(2)
3/6	0.446
3/7	1.000
3/8	0.378
3/12	0.610
3/13	1.000
3/14	1.000
3/15	1.000
3/16	1.000
3/17	1.000
3/18	1.000
3/19	1.000
3/20	1.000
3/21	1.000
3/22	0.300
5/16	0.412
5/14	0.688
5/15	0.834
9/3	1.000
9/4	1.000
9/5	1.000
9/6	0.500
10	0.822
11	1.922
12	1.870
13	0.582
14	1.442
15	1.493
16	2.972
17	0.557
207/18	0.443
209/18	0.126
210/18	0.101
18/3	1.000
18/4	1.000
18/5	1.000
18/6	1.000
18/7	0.400
184/1	0.020
19	1.770
20	0.696
21	1.151

(1)	(2)
22/1	0.500
22/2	4.552
44	0.076
24/1	0.138
28/4	0.182
30/1	0.289
30/2/1	0.145
73/1/2	0.337
36/2/1	0.029
37/2	0.059
26	0.342
36/3	0.059
37/1/1	0.030
24/2	0.077
28/3	0.181
72	0.202
71/2	0.203
73/1/3	0.337
25	0.480
28/5	0.181
30/2/2	0.144
30/3	0.289
36/4	0.059
36/2/2	0.030
73/1/6	0.169
37/1/2	0.029
37/3	0.059
208/26	0.935
73/1/8	0.506
27/2	0.481
28/2	0.544
30/4	0.864
36/1	0.177
71/1	0.025
37/4	0.177
73/1/1	1.012
27/1	0.695
73/2	0.696
31	0.266
32	0.266
33	0.215
184/2	0.030
35/1	0.095
38	0.544
39	0.266
182	0.010
41/1	0.057
42/1	0.341
41/2	0.057
42/2	0.341
43	0.392
45	1.495
120	0.076
113	0.069
75	0.291
47	0.022
46/1	0.110
46/2	0.102
137/1/1	0.415
137/1/2	0.632
132/1	0.101
133/1	0.108
133/4	0.092
132/2	0.672
130/7	0.063
78/1	1.112
133/2	0.165
133/5	0.150
132/3	0.301
134	0.443
133/6	0.102
132/4	0.089
133/3	0.010
137/2	1.265
117	0.773
184/13	0.020
78/2	0.506
73/3	0.013
35/2	0.095
ग्राम—चौंतरा, क्षेत्रफल	**1.349 हेक्टेयर**
87	0.443
85	0.030
90	0.125
92	0.171
93	0.013
101/2	0.300
77/2	0.020
70	0.164
71	0.038
66	0.020
133	0.025

(1)	(2)
ग्राम—सींघापुरा, क्षेत्रफल 22.923 हेक्टेयर	
1/1	0.759
13	0.090
1/2	0.253
6/2/1	0.408
11/2/2	0.809
46/2/3	0.126
47/1/2	0.051
179/7/2	1.132
6/2/2	0.408
11/2/4	0.809
6/2/3	0.408
11/2/3	0.809
179/7/4	1.132
6/2/4	0.408
11/2/1	0.810
46/2/4	0.126
47/1/1	0.051
179/7/1	1.132
179/7/3	1.132
14	0.125
33/2	0.480
46/1/2	0.195
47/2/1	0.050
33/1	0.481
46/1/1	0.195
47/2/2	0.050
25	0.101
60	0.125
23/2/1	0.380
29/1	0.012
23/2/2	0.379
29/2	0.013
26/1	0.031
27/1	0.101
32	0.076
26/2/1	0.016
27/2/1	0.051
26/2/2	0.016
27/2/2	0.050
28	0.076
77	0.340
157	0.379
69	0.050
30	0.025
31	0.076
34	0.038
36	0.253
35	0.343
37	0.923
38	0.152
41	0.081
42	0.588
45	0.017
57	0.290
179/11	1.020
179/9	1.150
160	0.315
161	0.152
174	0.379
175/1	0.818
173/1	0.255
175/2	0.286
179/6	1.012
180/11	0.125
ग्राम—सारस्याबे, क्षेत्रफल 28.318 हेक्टेयर	
3	0.885
13/1	0.362
14/1	0.654
15/1	0.527
13/2	0.220
14/2	0.654
15/2	0.527
13/3	0.110
14/3	0.653
15/3	0.527
16/1	0.664
16/2	0.664
123	0.189
133	0.076
17	0.202
20/2	0.057
18	0.291
19	0.215
20/1	0.044
21/1	0.126
22/1	0.323
21/2	0.126
26/1	0.035
124/2	0.026
134/3	0.017
22/2	0.322

(1)	(2)
23	0.215
24	0.051
151	0.038
152	0.658
25/1	0.046
135/1	0.059
154/1	0.110
155/1	0.110
25/2	0.232
135/2	0.216
136	0.076
137	0.089
154/2	0.459
128	0.025
26/2	0.035
134/4	0.017
155/2	0.548
26/3	0.035
124/1	0.025
134/5	0.017
26/4	0.050
134/1	0.025
26/5	0.063
134/2	0.025
62	0.240
65/201	0.025
66	0.076
125	0.051
63	0.025
169/1	0.759
126	0.063
127	0.076
131	0.114
132	0.013
138	0.013
139	0.694
140	0.025
141	0.089
142	0.253
129	0.025
130	0.076
144	0.759
145	0.025
146	0.139
149	0.278
150	0.101
147	0.038
168	0.304
169/2	0.430
153	0.645
156	0.860
170	0.493
171	1.455
172	0.278
174	0.174
174/202	1.438
175/1	1.245
175/2	0.303
175/3	0.304
6	0.350
7/1	0.670
164/1	0.405
164/2	0.405
164/3	0.404
165/1	0.603
166/1	0.181
167/1	0.068
173/1	0.084
165/2	0.302
166/2	0.090
167/2	0.034
173/2	0.042
165/3	0.301
166/3	0.091
167/3	0.033
173/3	0.043
165/4	0.301
166/4	0.091
167/4	0.033
173/4	0.042
165/5	0.302
166/5	0.091
167/5	0.034
173/5	0.042

ग्राम—कानड़ियाखेड़ी, क्षेत्रफल 24.812 हेक्टेयर

70/1	0.050
72/1	0.051
84/1/2	1.518
91/1	0.045
102/1	0.045
107/1	0.145
108/1	0.364

(1)	(2)
108/5	0.210
129/1	0.250
129/4	0.192
130	2.314
70/2	0.050
72/2	0.051
84/1/3	1.392
91/2	0.044
102/2	0.044
107/2	0.032
108/2	0.364
108/4	0.029
108/6	0.077
129/2	0.250
129/3	2.507
108/3	0.025
74/1	0.152
88/3	0.481
89/3	0.042
74/2	0.038
89/1	0.151
88/1	0.482
89/1	0.080
74/3	0.152
88/2	0.482
89/2	0.080
88/4	0.010
134/8	0.076
82	0.152
101/2	0.044
81/1/1	0.392
104/4	0.059
81/1/2	0.253
81/2/1	0.506
81/2/2/1	0.759
81/2/2/2	0.253
132/8	0.041
81/3	0.202
104/5	0.151
84/1/4	0.992
84/1/5	0.993
134/7	0.076
85	1.885
132/10	0.162
86	0.101
87	0.417
92	0.341
97	0.010
94	0.150
100	0.076
95	0.076
96	0.109
99	0.052
101/1/1	0.015
104/1	0.078
131/2	0.304
101/1/2	0.015
104/2	0.078
131/3	0.304
101/1/3	0.015
104/3	0.078
131/4	0.304
131/1	0.022
132/3	0.152
132/7	0.070
132/1	0.274
133/1/1	0.110
155/3	1.265
154	0.342
132/2	0.239
132/9	0.071
132/4	0.187
134/6	0.077
132/5	0.045
181/84	0.076
179/84	0.101
178/80	0.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—बांकपुरा तालाब, डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्र. A-926-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 16 से 20 मार्च 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-928-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 23 से 27 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-930-दो-2-47-2010.—श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-932-दो-2-47-2010.—श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-934-दो-3-65-2002.—श्री ए.के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 9 से 13 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 व 15 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-936-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री ऋषभ कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुन पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-938-दो-2-3-2008.—श्री हरिशचन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 19 अप्रैल से 5 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशचन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशचन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्र. A-940-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 2 से 7 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-942-दो-2-20-2005.—श्री डी.के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 10 अप्रैल से 17 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी.के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.के. पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-944-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.बी.एस. बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-946-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छैः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-948-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 19 से 21 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 अप्रैल 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-950-दो-2-82-2006.—श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-952-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 4 से 8 मई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.